"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 जून 2018—आषाढ़ 8, शक 1940

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं राजगोर बिपिन टोकरसी आत्मज श्री टोकरसी राजगोर, उम्र 42 वर्ष, निवासी-म. नं.-5, सड़क नं.-2 स्टील कालोनी, नेहरूनगर, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे कुछ आवश्यक प्रमाण पत्रों, दस्तावेजों व अभिलेखों में मेरा नाम क्रमशः राजगोर बिपिन कुमार टोकरसी, राजगोर बिपिन टोकरसी व बिपिन टोकरसी राजगोर दर्ज है. मेरा सही व वास्तविक नाम राजगोर बिपिन टोकरसी (Rajgor Bipin Tokarsi) है जो कि मेरे स्नातकोत्तर के प्रमाण पत्र में दर्ज है. मैं अपने समस्त प्रमाण पत्रों दस्तावेजों/अभिलेखों में मेरा सही नाम राजगोर बिपिन टोकरसी दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे राजगोर बिपिन टोकरसी, आ. श्री टोकरसी राजगोर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

राजगोर बिपिन कुमार टोकरसी,
राजगोर बिपिन टोकरसी,
बिपिन टोकरसी राजगोर,
पिता- श्री टोकरसी राजगोर
निवासी-म. नं.-5, सड़क नं.-2,
स्टील कालोनी, नेहरूनगर, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

राजगोर बिपिन टोकरसी,
पिता- श्री टोकरसी राजगोर
निवासी-म. नं.-5, सड़क नं.-2,
स्टील कालोनी, नेहरूनगर, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती सोनिया महोबिया ध. प. श्री विक्रांत कुमार महोबिया, उम्र 33 वर्ष, निवासी-सड़क नं.-7 डी, सुमेरू मठ के पास, प्रोफेसर कालोनी रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरी पुत्री शिवांग्नी महोबिया का जन्म दिनांक 19-05-2010 को हुआ. उसके जन्म प्रमाण पत्र व शैक्षणिक प्रमाण पत्र में उसका नाम स्वांगनी दर्ज है, जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपनी पुत्री का नाम परिवर्तित कर सही नाम शिवांग्नी महोबिया रख ली हूं व उसके जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में उसका सही व वास्तविक नाम दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मेरी पुत्री को शिवांग्नी महोबिया आ. श्री विक्रांत महोबिया के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
स्वांगनी महोबिया पिता-श्री विक्रांत महोबिया निवासी-सड़क नं.-7 डी, सुमेरू मठ के पास, प्रोफेसर कालोनी रायपुर, तह. व जिला रायपुर (छ. ग.)	शिवांग्नी महोबिया पिता-श्री विक्रांत महोबिया निवासी-सड़क नं.-7 डी, सुमेरू मठ के पास, प्रोफेसर कालोनी रायपुर, तह. व जिला रायपुर (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती भाना बाई ध. प. श्री प्यारेलाल साहू उम्र 60 वर्ष, निवासी-एम. आई. जी. 681, पद्मनाभपुर, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे पति भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत थे, तथा उनके सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम श्रीमती भाना बाई दर्ज है जो कि सही है, किन्तु मेरे अन्य आवश्यक शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में मेरा नाम भाना साहू, भाना व श्रीमती भाना साहू आदि दर्ज है तथा मैं इन नामों से भी जानी, पहचानी जाती हूं. मैं अपने समस्त शासकीय अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में मेरा सही नाम श्रीमती भाना बाई दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती भाना बाई ध. प. श्री प्यारेलाल साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
भाना, भाना साहू, श्रीमती भाना साहू, पति-श्री प्यारेलाल साहू निवासी-एम. आई. जी. 681, पद्मनाभपुर, दुर्ग, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	श्रीमती भाना बाई पति-श्री प्यारेलाल साहू निवासी-एम. आई. जी. 681, पद्मनाभपुर, दुर्ग, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती प्रीति साहू ध. प. श्री विनोद कुमार साहू, उम्र 34 वर्ष, निवासी-228/43, सड़क नं.-2, विराट नगर, बोरसी दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम प्रीति भारतीय आत्मजा श्री धर्मेश कुमार साहू था तथा मेरे समस्त शासकीय अभिलेखों व शासकीय प्रमाण पत्रों में यही नाम दर्ज है व मैं इसी नाम से जानी, पहचानी जाती थी. मेरा विवाह दिनांक 23-05-2005 को श्री विनोद कुमार साहू के साथ संपन्न हुआ. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम/उपनाम श्रीमती प्रीति साहू रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती प्रीति साहू ध. प. श्री विनोद कुमार साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
प्रीति भारतीय पिता-श्री धर्मेश कुमार साहू निवासी-ग्राम-हथौद, पो.- बी, जामगांव, जिला-बालोद (छ. ग.)	श्रीमती प्रीति साहू पति-श्री विनोद कुमार साहू निवासी-228/43, सड़क नं.-2, विराट नगर, बोरसी, दुर्ग, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, आनंद कुमार पोत्दार आत्मज स्व. श्याम जी पोत्दार, उम्र 40 वर्ष, निवासी-नेहरूनगर, जब्बल गली, सिमरन कंस्ट्रक्शन के पीछे, बिलासपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरा पुत्र प्रारब्ध पोत्दार, जो कि 10 वर्ष का है, का नाम परिवर्तित कर नया नाम देवाशीष पोत्दार रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरे पुत्र को देवाशीष पोत्दार आत्मज आनंद कुमार पोत्दार के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
प्रारब्ध पोत्दार पिता-आनंद कुमार पोत्दार निवासी-नेहरूनगर, जब्बल गली, सिमरन कंस्ट्रक्शन के पीछे, बिलासपुर, तह. व जिला-बिलासपुर (छ. ग.)	देवाशीष पोत्दार पिता-आनंद कुमार पोत्दार निवासी-नेहरूनगर, जब्बल गली, सिमरन कंस्ट्रक्शन के पीछे, बिलासपुर, तह. व जिला-बिलासपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, चन्द्रकांत देवांगन आत्मज श्री खेमलाल देवांगन, उम्र 38 वर्ष, निवासी-म. नं.-155, मोहलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि पूर्व में मेरे पुत्र का नाम रेहान देवांगन था तथा यही नाम उसके समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य आवश्यक दस्तावेजों में दर्ज है. मैं अपने पुत्र का नाम परिवर्तित कर नया नाम "तारांक देवांगन" रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरे पुत्र को तारांक देवांगन आ. श्री चन्द्रकांत देवांगन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
रेहान देवांगन पिता-श्री चन्द्रकांत देवांगन निवासी-म. नं.-155, मोहलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	तारांक देवांगन पिता-श्री चन्द्रकांत देवांगन निवासी-म. नं.-155, मोहलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रफुल्ल कुमार चन्द्राकर आत्मज श्री अवधराम चन्द्राकर निवासी- म. नं.- 326/1-2, सड़क-1-ई, प्रगति नगर, रिसाली भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरा पूर्ण व सही नाम प्रफुल्ल कुमार चन्द्राकर (Prafulla Kumar Chandrakar) है व मेरे नाम, उपनाम की "स्पेलिंग" भी सही है, किन्तु मेरे कुछ प्रमाण पत्रों, आवश्यक अभिलेखों/दस्तावेजों में मेरे "उपनाम" की स्पेलिंग (Chandraker) त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने समस्त प्रमाण पत्रों व अभिलेखों/दस्तावेजों में मेरा सही नाम (Prafulla Kumar Chandrakar) दर्ज करवाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे प्रफुल्ल कुमार चन्द्राकर (Prafulla Kumar Chandrakar) आ. श्री अवधराम चन्द्राकर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
प्रफुल्ल कुमार चन्द्राकर (Prafulla Kumar Chandraker) पिता-श्री अवधराम चन्द्राकर (S/o- Shri Awadh Ram Chandrakar) निवासी-म. नं.- 326/1-2, सड़क-1-ई, प्रगति नगर, रिसाली भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	प्रफुल्ल कुमार चन्द्राकर (Prafulla Kumar Chandrakar) पिता-श्री अवधराम चन्द्राकर (S/o- Shri Awadh Ram Chandrakar) निवासी-म. नं.- 326/1-2, सड़क-1-ई, प्रगति नगर, रिसाली भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, पारखीनाथ सोनवानी आत्मज स्व. सुकदेव सिंह, उम्र 39 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-168/ए, रिसाली सेक्टर, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूं. मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, अन्य दस्तावेजों में मेरा पूर्ण नाम पारखीनाथ सोनवानी दर्ज है, किन्तु मेरे कुछ शैक्षणिक प्रमाण पत्र व मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम पारखीनाथ दर्ज है जो कि अपूर्ण है. मैं अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र व सर्विस रिकार्ड में, मेरे नाम के साथ "सोनवानी" उपनाम जोड़वाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे पारखीनाथ सोनवानी आ. स्व. सुकदेव सिंह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
पारखीनाथ पिता-स्व. सुकदेव सिंह निवासी-क्वा. नं.-168/ए, रिसाली सेक्टर, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	पारखीनाथ सोनवानी पिता-स्व. सुकदेव सिंह निवासी-क्वा. नं.-168/ए, रिसाली सेक्टर, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती कविता देवांगन ध. प. श्री देवी प्रसाद देवांगन, उम्र 40 वर्ष, जाति कोष्टा, निवासी-538/42, वार्ड नं.-42, सुभाष नगर, कसारीडीह दुर्ग, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम कु. योगेश्वरी आत्मजा श्री समारू राम था तथा यह नाम मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, अन्य शासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज है. मेरा विवाह दिनांक 01-05-2004 को श्री देवी प्रसाद देवांगन के साथ संपन्न हुआ. मेरे पति भारतीय रेल्वे विभाग में कार्यरत हैं. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती कविता देवांगन रख ली हूं. मेरे पति के सर्विस रिकार्ड में व मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में अपना नया नाम दर्ज करवाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती कविता देवांगन ध. प. श्री देवी प्रसाद देवांगन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
कु. योगेश्वरी पिता-श्री समारू राम निवासी-538/42, वार्ड नं.-42, सुभाष नगर, कसारीडीह, दुर्ग, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	श्रीमती कविता देवांगन पति-श्री देवी प्रसाद देवांगन निवासी-538/42, वार्ड नं.-42, सुभाष नगर, कसारीडीह, दुर्ग, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

वनमंडलाधिकारी खैरागढ़ वनमंडल, खैरागढ़ जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)

खैरागढ़, दिनांक 14 जून 2018

आदेश क्र./मा. चि. /332.—सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न अंकित पासिंग हैमर खैरागढ़ परिक्षेत्र अंतर्गत सुखीत राम धुर्वे वनरक्षक परिसर रक्षक सनडोंगरी को प्रदाय किया गया था, जो गुम हो गया है. इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना गातापार में दर्ज कराई गई है. वन वित्तीय नियम की धारा-124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उक्त हैमर वनमंडल के भंडार से अपलेखित किया जाता है एवं उसकी कीमत राशि 500/- रुपये (पांच सौ रुपये) श्री सुखीत राम धुर्वे वनरक्षक परिसर रक्षक सनडोंगरी का वेतन से अथवा शासकीय चालान द्वारा वसूल करने का आदेश पारित किया जाता है तथा हैमर उनकी लापरवाही से गुम होने के फलस्वरूप उन्हें चरित्रावली चेतावनी दी जाती है एवं भविष्य के लिए सचेत किया जाता है :-

क्र.	हैमर का स्वरूप	हैमर का निशान
1.	पातन	↑ K G 56

यदि उपरोक्त हैमर किसी व्यक्ति को मिले तो वह अपने निकटतम पुलिस थाना अथवा वन विभाग के कार्यालय में जमा कराने का कष्ट करें. यदि कोई व्यक्ति उक्त हैमर अवैधानिक रूप से अपने पास रखेगा या उपयोग करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 63 के अंतर्गत नियमानुसार अभियोग चलाया जावेगा तथा वह दण्ड का भागीदार होगा.

दिलराज प्रभाकर,
भा. व. से.
वनमंडलाधिकारी

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.